रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

33

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

तेतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

सीसीएंडएफ सं. 161

तेतीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		
प्राक्कथन		
	प्रतिवेदन	
अध्याय - एक	**परिचय**	
अध्याय - दो	वर्ष 2022-23 के लिए समग्र वित्तीय परिव्यय और प्रस्तावित कार्यनिष्पादन एवं अनुमोदित आवंटन	
अध्याय - तीन	वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन एवं उपयोग	
अध्याय – चार	योजना-वार विश्लेषण 1. पेट्रोरसायन संबंधी नई योजना (एनएसपी) 2. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	
अध्याय – पांच	अन्य कार्यक्रम /परियोजनाएं/ मुद्दे 1. केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) 2. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र (पीडब्ल्यूएमसी) 3. कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) 4. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीडीएल) 5. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र 6. पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	
	भाग-दो	
	टिप्पणियां/सिफारिशें	
	परिशिष्ट	
एक.	24 फरवरी**, 2022** को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	**16** मार्च**, 2022** को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिवेन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरुण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एन.के. झा	-	निदेशक
3.	श्री कुलविन्दर सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी यह तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' की जांच की जिसे 08 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया। बजट दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पणों आदि प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने 24 फरवरी, 2022 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।समिति ने दिनांक 16.03.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3. समिति ने अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में यथा अपेक्षित विस्तृत लिखित टिप्पण और साक्ष्योपरांत सूचना अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

भाग – दो

<u>टिप्पणियाँ / सिफारिशें</u>

<u>सिफारिश संख्या 1: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित आवंटन</u>

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग ने 271.27 करोड़ रुपये के ब.अ. का प्रस्ताव किया था, लेकिन केवल 209.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। प्रस्ताव की तुलना में 62.27 करोड़ रुपए की इस कटौती के संबंध में विभाग द्वारा बताए गए कारणों में विभाग द्वारा किया गया समग्र व्यय, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन और इसकी प्राथमिकताएं शामिल हैं। समिति का मत है कि सरकार की समग्र प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता के कारक विभाग के नियंत्रण से परे हैं लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों का प्रस्ताव के अनुरूप व्यय ट्रैक विभाग को निधियों के आबंटन में निर्णायक कारकों में से एक है, यह पूर्णत: विभाग की जिम्मेदारी है। समिति को उम्मीद है कि विभाग आबंटित निधियों के उपयोग पर आवश्यक ध्यान देगा। इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित बजट की तुलना में प्रस्तावित बजट में मुख्य कमियों में एनएसपी के तहत 53.77 करोड़ रुपये, आईपीएफटी के तहत 5.70 करोड़ रुपये, सीपीडीएस के तहत 3.00 करोड़ रुपये और सीआईपीईटी के तहत 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कमी शामिल है, जिससे सीआईपीईटी की योजना में बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विभाग की दोनों स्कीमों नामत (i) नई पेट्रोरसायन योजना (एनएसपी) और (ii) रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) में क्रमश 53.77 करोड़ रुपए और 3.00 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस प्रकार विभाग की प्रमुख योजनाओं का विभाग

के कार्यकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आईपीएफटी में 5.70 करोड़ रुपए की कमी आई है जिसका विभाग के कार्यकरण के निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति विभाग के इस उत्तर से कुछ हद तक संतुष्ट है कि सीआईपीईटी के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तथापि, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को एनएसपी और सीपीडीएस के लिए आबंटित निधियों का विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों का अपेक्षित आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को उपयुक्त स्तर पर भी उठाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 2: 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग</u>

समिति ने नोट किया कि ब.अ. (2019-20) 263.65 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 370.18 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 365.10 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2020-21) 218.34 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे फिर से सं.अ. चरण में 395.70 करोड़ रुपये तक किया गया और वास्तविक व्यय 293.04 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2021-22) 233.14 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे संशोधित करके 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 158.00 करोड़ रुपये है। समिति 2019-20 और 2020-21 के दौरान आवंटित निधियों के उपयोग को देख कर संतुष्ट है जो संबंधित वर्षों के लिए सं.अ. का 98.6% और 99% है। 2021-22 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये के शेष निधि उपयोग के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रस्तावों को आईएफडी को अग्रेषित कर दिया गया है और सहमति के बाद, विभाग द्वारा 51.00 करोड़ रुपये की शेष निधियों का उपयोग

करने के लिए आवश्यक मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं। समिति को आशा है कि विभाग आने वाले वर्षों में आबंटित निधियों के इष्टतम उपयोग में अपना कार्य निष्पादन जारी रखेगा। जहां तक सं.अ. चरण में ब.अ. (2021-22) को 233.14 करोड़ रुपये से घटाकर 209.00 करोड़ रुपये करने का संबंध है, विभाग ने बताया है कि यह मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है (i) सीआईपीईटी स्कीमों के लिए निधि के आबंटन में कमी और (ii) बीजीएलडी लागत केन्द्र सीआईपीईटी को 117.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिन्हें विभिन्न कारणों से घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया था जैसे (i) जम्मू में भूमि का आबंटन न करना, (ii) जम्मू और कश्मीर में सीआईपीईटी की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% अभी भी विचाराधीन है आदि और जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, कोविड-19 के कारण कुल 3.53 करोड़ रुपये की कमी की गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र ब.अ. आवंटन के अधिकतम 20% व्यय की सीमा लगाई गई है। समिति ने पाया है कि बीजीएलडी से संबंधित मुद्दे विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं जबकि सीआईपीईटी से संबंधित पूर्व मुद्दा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं के लंबित मुद्दों को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त किया जा सके।

<u>सिफारिश संख्या 3: 2021-22 के लिए पेट्रोरसायन (एनएसपी) की नई योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग</u>

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के दौरान एनएसपी के लिए ब.अ. में 53.73 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया था जिसे सं.अ. चरण में घटाकर 51.13 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 31.01.2022 की तिथि तक कम किए गए सं.अ. में से विभाग द्वारा 42.54 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। विभाग ने कहा है कि उन्होंने उन्हें सौंपी गई राशि

मासिक और त्रैमासिक व्यय योजना सीमाओं के अनुसार व्यय की है और वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सं.अ. चरण में एनएसपी के तहत आवंटित पूरी राशि का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं। समिति को आशा और विश्वास है कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, विभाग शेष आबंटित राशि को 31.03.2022 तक व्यय करने में सक्षम होगा।

<u>सिफारिश संख्या 4: एनएसपी के ब.अ. (2022-23) में भारी कटौती</u>

समिति ने नोट किया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के रूप में 102.73 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, लेकिन इसे 48.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जहां तक 102.27 करोड़ रुपए की राशि का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए 66.27 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था और नए उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) और नए प्लास्टिक पार्कों के लिए 36.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि निधियों में कटौती से पुरानी परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा योजना की निरंतरता और विस्तार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को 102.73 करोड़ रुपए के प्रस्तावित ब.अ. में भारी कटौती के कारणों का तत्काल विश्लेषण करना चाहिए और एनएसपी के लिए प्रस्तावित ब.अ. के अनुरूप निधियों का आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को अधिक बलपूर्वक उचित मंच पर उठाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी भी कीमत पर एनएसपी के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन और विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 5: पांच नए प्लास्टिक पार्कों का प्रस्ताव</u>

समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय पर पांच नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क के रूप में 2.50 करोड़ रुपये शामिल हैं और इस प्रस्ताव को रसायन और उर्वरक मंत्री और वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन व्यय विभाग की सहमति प्रतीक्षित है। इस प्रकार व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन/सहमति प्रदान करे। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया गया है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के कारण प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। हालांकि अब वे इस मामले को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समक्ष उठाएंगे। समिति घटनाओं के इस क्रम को नोट करते हुए क्षुब्ध है और यह राय देती है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के लिए केवल और केवल विभाग जिम्मेदार है। यद्यपि विभाग ने बताया की किया है कि उन्होंने (i) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति की समीक्षा, (ii) समीक्षा बैठकों/फील्ड इकाइयों का आयोजन और (iii) योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा प्लास्टिक पार्कों की समीक्षा करने आदि जैसे कई उपाय शुरू किए हैं, लेकिन समिति का मानना है कि ये उपाय प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही विभाग द्वारा ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में, विभाग ने बताया है कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र सहमति की उम्मीद करते हैं, फिर भी समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए अन्यथा निधियों की पूरी गणना और पांच नए प्लास्टिक पार्कों की योजना मूर्त रूप

नहीं ले पाएंगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जहां तक संभव हो, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने के बाद ही ब.अ. प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 6: प्लास्टिक पार्क की नीति पर पुनर्विचार</u>

समिति को अवगत कराया गया है कि विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की नीति पर पुनर्विचार किया है और अब ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अतिरिक्त, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर भी उद्योग के अनुरोध के अनुसार भी विचार किया जाएगा और अब उद्यमी को भूमि खरीदने और अपनी पूंजी को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अब पट्टे के आधार पर भी भूमि प्राप्त कर सकते हैं। समिति को आशा है कि इस संशोधन को लाकर विभाग प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने में सक्षम होगा।

<u>सिफारिश संख्या 7 : पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब</u>

जहां तक ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब का संबंध है, समिति को बताया गया कि इकाइयों के आगे न आने के कारण कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) लंबित है और सोच-विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि सीएफसी के लिए मशीनरी और उपकरण नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि यह पुराना हो जाएगा। समिति का विचार है कि पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्क, विभाग की ओर से उचित योजना/प्रबंधन की कमी का शिकार हो गए हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इन दोनों प्लास्टिक पार्कों के भाग्य का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और उद्योग को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 8: प्लास्टिक पार्कों का स्थान</u>

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार प्लास्टिक पार्कों के लिए आंशिक रूप से भूमि का चयन करती है और इसे विभाग को दे देती है। हालांकि, पहले विभाग राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्थान की परवाह किए बिना भूमि के प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा था लेकिन अब सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है और विभाग लगातार भूमि के स्थान का चयन कर रहा है और वह स्थान भी उद्योग को दिखाया जाता है और एक बार जब उनके द्वारा इसे सहमति दे दी जाती है या वे उस स्थान पर प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही प्लास्टिक पार्क को स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति के विचार से एक सही कदम है और यह कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। समिति को उम्मीद है कि इस कदम से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में देरी में कमी आएगी। समिति को बताया गया है कि तिनसुकिया स्थित प्लास्टिक पार्कों में मुख्य रूप से स्थान संबंधी परेशानियों के कारण विलंब हो रहा है। समिति की सिफारिश है कि तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क के बारे में भी अंतिम निर्णय लिया जाए और इसे स्थान संबंधी परेशानियों के कारण नहीं छोड़ा जाए।

<u>सिफारिश संख्या 9: उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)</u>

समिति नोट करती है कि उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) का मूल उद्देश्य पेट्रोरसायनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और अब तक कुछ सीओई स्वीकृत भी किए गए हैं। हालांकि, प्रति उत्कृष्टता केन्द्र 6.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि को अब घटाकर 5.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समिति को इस कटौती के औचित्य से अवगत नहीं कराया गया है। समिति को लगता है कि पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित होने के कारण यह

विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है और अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि निधि में कटौती के पीछे के कारणों का समुचित विश्लेषण किया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 10: रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

समिति नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ सूचना के प्रसार हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अध्ययनों आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को सहायता अनुदान के रूप में सीपीडीएस के अंतर्गत सुलभ सहायता प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान करता है। जहां तक सहायता अनुदान का संबंध है, समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 56 संगठनों/उद्योग संघों से प्राप्त में से केवल 8 संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 168 संगठनों/उद्योग संघों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 04 संगठनों/उद्योग संघों को अनुदान सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 के लिए, 31.01.2022 तक, 26 संगठनों ने आवेदन किया लेकिन केवल 06 संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। चार वर्ष की अवधि के दौरान यानी 2019 से 2022 तक, प्राप्त 250 आवेदनों में से केवल 18 संगठनों/उद्योग संघों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। इन आंकड़ों से सीपीडीएस के अंतर्गत अनुदान सहायता प्रदान करने की नीति पर संदेह उत्पन्न होता है। समिति को ऐसा लगता है कि सीपीडीएस के संबंध में संगठनों/उद्योग संघों के बीच जागरूकता की कमी है और साथ ही योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में भी जागरूकता का अभाव है। समिति सिफारिश करती है कि सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों/उद्योग संघों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। विभाग आवेदनों को

अस्वीकार किए जाने के कारणों का भी विश्लेषण करे और उपचारात्मक कदम उठाए। जहां तक सीपीडीएस के अंतर्गत विभाग के पास लंबित पड़े आवेदनों का संबंध है, समिति को बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सीपीडीएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। हालांकि, निधियां जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति के अभाव में सहायता अनुदान के कुछ प्रस्तावों को स्थगित रखा गया है और इस मामले को इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के समक्ष रखा जा रहा है। समिति सिफारिश करती है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और इसका तार्किक निष्कर्ष निकाला जाए तथा इस संबंध में अंतिम परिणाम से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 11: सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करना</u>

जहां तक व्यक्तियों/वैज्ञानिकों के समूह आदि को पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नवाचारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जा रहे पुरस्कारों का संबंध है, समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और पुरस्कार तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई नवाचार नहीं किया गया हो या उद्योग को लाभ नहीं मिल रहा हो। पुरस्कारों के आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में विजेताओं की संख्या 17 थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 04 हो गई। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान उपविजेताओं की संख्या 14 से घटकर 09 हो गई। समिति पुरस्कारों की संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट पर अत्यधिक रौष व्यक्त करती है। समिति का मत है कि पुरस्कारों की संख्या में कमी इस क्षेत्र में नवाचारों में कमी का संकेत देती है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और व्यक्तियों/संगठनों आदि की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

<u>सिफारिश संख्या 12: सीपीडीएस के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियां</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीपीडीएस का ब.अ. 3.00 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 2.93 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 3.50 करोड़ रुपये के ब.अ. प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे घटाकर 2.80 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय भी 2.80 करोड़ रुपये है। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि का ब.अ. में निर्धारण किया गया था जिसे सं.अ. चरण में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें 31.12.2021 तक 1.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ब.अ. में वृद्धि और कमी का कारण विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की प्रवृत्ति बताई गई है। समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावों की प्रवृत्ति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए और भविष्य में एक वास्तविक ब.अ. का प्रस्ताव दिया जाए। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग ने 6.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसे केवल 3.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने के लिए सहमत नहीं था और रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए एक नई योजना तैयार की गई है जिसके लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 57.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और रसायन के विकास और संवर्धन के लिए विभाग के अंदर या बाहर सीपीडीएस के समानांतर कोई योजना नहीं है। हालांकि, समिति नोट करती है कि नई योजना भी केवल सहायता अनुदान और पुरस्कारों तक ही सीमित है। सीपीडीएस और एनसीपीडीएस के बीच, अंतर केवल बजट परिव्यय में ही है। समिति का विचार है कि केवल सहायता अनुदान और पुरस्कार प्रदान करके रसायनिक

क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। विभाग रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाए।

<u>सिफारिश संख्या 13: सिपेट के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन</u>

समिति नोट करती है कि दीर्घकालिक पाठ्यक्रम में कम से कम 13,494 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था और केवल 4390 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया था और केवल 3672 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। जहां तक कौशल विकास (अल्पकालिक पाठ्यक्रम) का संबंध है, समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश: 20994, 14417 और 1886 छात्रों को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) में नियोजित किया गया था। समिति नोट करती है कि छात्रों/उम्मीदवारों की संख्या प्रति वर्ष कम हो रही है और विशेष रूप से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच का अंतर एक बड़ा अंतर है। समिति इस गिरावट के सटीक कारणों को जानना चाहती है और सिफारिश करती है कि सफल छात्रों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सिपेट सफल छात्रों/उम्मीदवारों को सार्थक प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे।

<u>सिफारिश संख्या 14: गत वर्ष के दौरान सिपेट का ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय</u>

समिति नोट करती है कि ब.अ. (2019-20) 80.00 करोड़ रुपए था लेकिन इसे 81.50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया और सं.अ. की सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। ब.अ. (2020-21) 98.25 करोड़ रुपए था और इसे 146.30 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया क्योंकि संस्थान ने 144.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त धनराशि की मांग की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा सं.अ. स्तर

पर 50.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये और वर्ष 2019-2020 की तरह इस वर्ष भी सं.अ. की कुल 146.30 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। जहां तक ब.अ. (2021-22) का संबंध है समिति नोट करती है कि यह 117.88 करोड़ रुपए था लेकिन इसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया और वास्तविक उपयोग 81.70 करोड़ रुपए बताया गया है। समिति वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के दौरान निधि के उपयोग के प्रभावशाली प्रवृत्ति से सन्तुष्ट है और आशा करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित राशि का भी उपयोग कर लिया जाएगा। समिति नोट करती है सिपेट द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गयीं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। हालांकि स्थिति सामान्य होने पर और संबंधित जिला प्रशासन के दिशानिर्देश पर सिपेट के सभी केन्द्रों ने अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष/आफलाइन मोड में शुरु कर दिया है। समिति का विचार है कि सही दिशा में एक अच्छा कदम है और इच्छा व्यक्त करती है कि सिपेट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव को कम करने और एक निर्धारित समय में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त नवाचार उपाएं किए जाएं।

<u>सिफारिश संख्या 15: सिपेट में अनुसंधान एवं विकास</u>

समिति नोट करती है सिपेट के तीन अनुसंधान और विकास विंग यथा-(एक) एडवांस स्कूल फॉर टेक्नॉलॉजी एण्ड प्रोडक्ट सिमूलेशन (एआरएसटीपीएस), चेन्नई (दो) लेब्रोटरी फॉर एडवासंड रिसर्च इन पालीमरिक मैटेरियल्स (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर और (तीन) एडवांस्ड पॉलीमर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च लेब्रोटरी (एपीडीडीआरएल), बंगलुरु हैं।

वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास विंग/शाखा ने अनुसंधान और विकास की 36 परियोजनाएं शुरू की हैं, 35 शोध पत्र उच्च प्रभाव कारक सहकर्मी-समीक्षीत वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए और 5 पेटेंट के लिए आवेदन किया। साथ ही, एसएआरपी ने उद्योगों को ग्यारह तकनीकी सफलतापूर्वक हस्तान्तरित कर दिया है। एसएआरपी टीम द्वारा विभिन्न पुस्तकों/अध्यायों में अनुसंधान संबंधी विचारों का अनुवाद किया गया है और पॉलिमर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के डोमेन में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा 70 जर्नलों को प्रकाशित किया गया है। समिति ने नोट किया है कि यद्यपि सिपेट के 45 केन्द्र देश भर में कार्य कर रहे हैं लेकिन सिपेट के मात्र 3 केन्द्र यथा, भुवनेश्वर, बंगलुरु और चेन्नई के पास आरएण्डडी कार्य करने का अधिदेश है। समिति ने सिफारिश की कि आरएण्डडी कार्य सिपेट के मात्र तीन केन्द्रों तक की सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और विभाग को जल्द ही सिपेट के अन्य केन्द्रों पर आरएण्डडी कार्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में, समिति को विभाग द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 16: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र</u>

समिति नोट करती है कि चारों स्थानों यथा अहमदाबाद (गुजरात), पटना (बिहार), वाराणसी (उ.प्र.) तथा बेंगलुरु (कर्नाटक) में कम से कम एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों के कारण पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट को भूमि आवंटन में देरी हो रही है और इस मामले में कोई प्रगति नहीं है। तदनुसार, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया है और एसओपी का संशोधन प्रक्रियाधीन है। समिति इसकी पुरजोर सिफारिश करती है कि एसओपी में संशोधन अतिशीघ्र किया जाए और तदनुसार ही समिति को इससे अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 17: भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीडीएल)</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान ब.अ. को 27.95 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 23.61 करोड़ रूपए था। उसी प्रकार ब.अ. 31.80 करोड़ रूपए था लेकिन इसे घटाकर 21.43 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 18.93 करोड़ रूपए था। वर्ष 2021-2022 के लिए ब.अ. 22.06 करोड़ रूपए था जिसे कम कर 18.53 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 13.57 करोड़ रूपए था। इस प्रकार कई कारणों से लगातार तीन वर्षों में आवंटित निधि के उपयोग में गिरावट आयी है। समिति इन कारणों की गहराईयों में नहीं जाना चाहती है क्योंकि इन प्रशासनिक मामलों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा ही निपटाया जाता है। हालांकि, समिति की इच्छा है और समिति सिफारिश भी करती है कि कम से कम मानवीय आधार पर विभाग को आगे आना चाहिए और अनुग्रह राशि की भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें राहत/सहायता दी जा सके।

<u>सिफारिश संख्या 18: जहरीले कचरे को हटाना</u>

जहां तक जहरीले कचरे को हटाने संबंधी मामले का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है और जहरीले कचरे के परिवहन के लिए भी एक संगठन की पहचान की गई है। इसके अलावा, एक प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। समिति इस बात से क्षुब्ध है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुआ था और उस घटना के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों

के बावजूद यह मामला प्रक्रियाधीन है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जहरीले कचरे को हटाने से संबंधित स्पष्ट विवरणों के साथ आगे आए और तदनुसार उन्हें अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 19: प्रमुख रसायनों और पेट्रो-रसायनों का आयात व निर्यात</u>

पिछले 5 वर्षों में प्रमुख रसायन और पेट्रो-रसायन के आयात और निर्यात के विवरण के संबंध में समिति नोट करती है कि आयात और निर्यात की प्रवृत्ति मिश्रित उत्पाद-वार प्रवृत्ति बतलाता है, किंतु वर्ष 2019-20 (कोविड-19 के कारण) को छोड़कर कुल आयात वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। हालांकि, निर्यात के मामले में 2016-17 से 2018-19 तक रुझान बढ़ रहा था और बाद के वर्षों (2019-20 तथा 2020-21) में इसमें कमी होती रही है। समिति सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन के निर्यात को बढ़ाने और इसके आयात को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को सूचित किया जाए। समिति के संज्ञान में एक चिंताजनक बात यह आयी है कि भारत में रसायन और पेट्रो-रसायन की प्रति व्यक्ति खपत दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है और यह बतलाता है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि की पर्याप्त क्षमता है। चूंकि भारत रसायन और पेट्रो-रसायन का एक बड़ा उपभोक्ता है और यह अनुमान है कि आने वाले दशकों में उत्पादन और खपत लगातार बढ़ती रहेगी। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए क्षमता के दोहन हेतु अतिशीघ्र ठोस कदम उठाना चाहिए। एक अन्य विशेषता बात संज्ञान में आया है कि बहुत से उत्पाद नामतः पॉलीकार्बोनेट, सुपर एब्जार्वेन्ट पॉलिमर्स, मिथाईल मेथाक्राइलेट, बुटाडीन स्टाइरीन, पॉलिसेटल्स, मेथिलीन डाईफेनिल डाइसोसायनेट, एथिलीन विनाइल एसीटेट और एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर की घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं है और ये पूर्णत: आयात आधारित उत्पाद है। इसके अतिरिक्त, कारोबार किए जाने वाले अधिसंख्य पेट्रोरसायन में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसमें

घरेलू उत्पादन क्षमता हो। हालांकि, पॉलिएथिलीन के पॉलिप्रोपिलीन जैसे उत्पाद हैं जिनकी घरेलू उत्पादन क्षमता आत्मनिर्भर होने के करीब है, फिर भी इन पॉलीमरों और इनके को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेड हैं, जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है और बड़ी मात्रा में इनका आयात किया जा रहा है। इस संबंध में, समिति की है कि विभाग इस मुद्दे को प्राथमिक आधार पर देखे और इन उत्पादों की आयात-निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए। विभागों को पॉलिमर और को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नीति तैयार करे जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता हैं और जिनका अभी आयात किया जा रहा है।

<u>सिफारिश संख्या 20: पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)</u>

समिति नोट करती है कि पीसीपीआईआर का लक्ष्य और उद्देश्य रसायन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। पीसीपीआईआर के इन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चार पीसीपीआईआर (एक) गुजरात (दाहेज) (2009 में), (दो) आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) (2009 में), (तीन) ओडिशा (पारादीप) (2010 में) और (चार) तमिलनाडू (कूडालोर और नागपट्टिनम) (2012 में) अधिसूचित की गई है। समिति आगे नोट करती है कि इन पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रूपये निवेश किया जाना था और इनसे लगभग 33.88 लाख लोगों को रोजगार देने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, समिति को खेद है कि वर्ष 2009, 2010 और 2012 में स्थापित ये चार पीसीपीआईआर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में पीसीपीआईआर के मास्टर प्लान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है जबकि तमिलनाडू में पीसीपीआईआर, पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पीसीपीआईआर को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल पायी है वहीं तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन

बोर्ड के गठन के बाद ही मिल पाएगा। इस संबंध में विभाग ने बताया है कि ये सभी 20-25 वर्षों में तैयार होने वाली बड़ी परियोजना है और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है। समिति, विभाग के तर्क से सहमत भी है लेकिन उसका विचार है कि पीसीपीआईआर के स्थापना के 12 से 13 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ बुनियादी मुद्दे जैसे मास्टर प्लान और पर्यावरण आयात मूल्यांकन को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की जांच की जाए और यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। समिति ने नोट किया है कि पीसीपीआईआर नीति को ज्यादा सफल बनाने के लिए यह विभाग के पास सक्रिय रूप विचाराधीन है। सुधार के लिए कुछ प्रस्तावों शामिल हैं: (एक) नये पीसीपीआईआर का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 250 से 50 वर्ग किमी तक कम करना और (दो) प्रबंधन बोर्ड के नाम को बदलकर विकास एवं प्रबंधन बोर्ड करना इत्यादि। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पीसीपीआईआर नीति में न केवल चार पीसीपीआईआर को एक ठोस आकार दिये जाने बल्कि विभाग द्वारा प्रस्तावित 33.83 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित 7.63 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए में यथाशीघ्र आवश्यक सुधार किया जाए।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 24 फरवरी , 2022 को 1400 बजे से 1530 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

<u>राज्य सभा</u>

9. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. डॉ. अनिल जैन
12. श्री अरुण सिंह
13. श्री विजय पाल सिंह तोमर

सचिवालय

1.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवीन कुमार झा	-	निदेशक
3.	श्री सी. कल्याणसुन्दरम	-	अपर निदेशक
4.	श्री कुलविन्दर सिंह	-	उप सचिव
5.	श्री पन्ना लाल	-	अवर सचिव

साक्षी

एक. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

क्रम सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्रीमती आरती अहूजा	सचिव**,** सीएंडपीसी
2.	श्री सतेन्द्र सिंह	एएस एंड एफए
3.	श्री काशी नाथ झा	संयुक्त सचिव
4.	श्री एन.के. सन्तोषी	डीडीजी
5.	श्री एच. काम सुआंथांग	निदेशक (प्रशासन/सतर्कता)
6.	श्री के.के. श्रीवास्तव	निदेशक
7.	श्री राम सजीवन	संयुक्त निदेशक

पीएसयू/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि

1.	श्री जितेन्दर कुमार	निदेशक, आईपीएफटी
2.	डा. शिशिर सिन्हा	डीजी, सीआईपीईटी
3.	श्री संजीव बी.	सीएमडी, एचओसीएल एंड सीएमडी
4.	श्री एस.पी. मोहन्ती	सीएमडी, एचआईएल
5.	श्री दीपेश कुमार तिवारी	रजिस्ट्रार, बीजीडीएल

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने 'अनुदानों की मांगों 2022-23' के सम्बन्ध में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई बैठक में समिति के सदस्यों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य के दौरान कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, सभापति ने सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से गत वर्ष (2021-22) केवास्तविक व्यय पर जानकारी देने के लिए और वर्ष 2022-23 के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों/स्कीमों के लिए बजटीय प्रावधान और निर्धारित निधि के इष्टतम उपयोग और वास्तविक लक्ष्यों संबंधी अधिकतम उपलब्धि के लिए मंत्रालय की कार्ययोजना के बारे में पूछा।

3. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस विभाग को दिए गए कार्य विजन विवरण 2024,रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल, पेट्रोरसायन की नई योजनाओं के तहत रसायन संवर्द्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस), सीपीडीएस के तहतराष्ट्रीय पुरस्कार, पेट्रोलियम-रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति, चार पीसीपीआईआर की अद्यतन स्थिति, इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान यथा स्वायत्त निकाय जैसे सीआईपीईटी और आईपीएफटी; सांविधिक निकाय जैसे कल्याण आयुक्त भोपाल का कार्यालय, भोपाल गैस लीक डिजास्टर (बीजीडीएल), भोपाल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली; हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), नवी मुम्बई, हिन्दुस्तान फ्लोरोकाबर्न्स लिमिटेड (एचएफएल) इत्यादि पर प्रकाश डाला।

4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया जिसमें विभाग के व्यय में मितव्ययता बरतने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई नकदी प्रबंधन प्रणाली, प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में देरी, अनुदान सहायता के लिए सीपीडीएस के तहत आने वाले आवेदनों को अस्वीकार करने का कारण,नेशनल पेट्रोकेमिकल्स अवार्ड, गुजरात (दाहेज), आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), ओडिशा (पारादीप) और तमिलनाडू (कूड्डलोर और नागपत्तिनम) में पीसीपीआईआर की स्थिति, भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी) के कारण मुआवजा दिया जाना, सीआईपीईटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम जैसे कौशल विकास अकादमी कार्यक्रम, पेट्रोरसायन उद्योग में विकास के लिए पेट्रोरसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास, आईपीएफटी आदि शामिल हैं।

5. माननीय सभापति ने विषय-वस्तु पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सचिव और अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

6. बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति अलग से रख ली गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अरूण सिंह - सभापति (कार्यकारी)

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
8. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

11. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
12. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री के. वेंलेल्वना

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुंदरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविंदर सिंह - उप सचिव
5. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में भाग लेने में असमर्थ थीं इसलिए समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अंतर्गत बैठक के सभापति के रूप में श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य का चयन किया।

3. तत्पश्चात, कार्यकारी सभापति ने समिति के सदस्यों का इस बैठक में स्वागत किया जिसे चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकार करने के आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए उठाया:-

(i)	XXX	XXX	XXX
(ii)	XXX	XXX	XXX
(iii)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें		
(iv)	(2022-23)'; और		
(v)	XXX	XXX	XXX

3. समिति ने इन प्रतिवेदनों को विचारोपरांत सर्वसम्मति से किसी संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।